परिशिष्ट - अ
[23/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 1323]

/2025-O/oWCD-COLL-BGT

I/478480/2025

कार्यालय कलेक्टर,(महिला एवं बाल विकास),जिला–बालाघाट(मप्र.)

क्रमांक /4388 / मबावि / ला.बा.यो. / 2025–26 बालाघाट दिनांक 04/09/2025

||आदेश||

श्री योगेश खजरे, सहायक ग्रेड 3 सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला बालाघाट वर्तमान मुख्यालय बाल विकास परियोजना खैरलांजी जिला बालाघाट को माननीय मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रथम / द्वितीय चरण के कैलेण्डर का वितरण नहीं किये जाने, भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया जाकर अपने पदीय दायित्वों का के निर्वहन में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3843 दिनांक 23.07.2025 के द्वारा निलंबित किया गया है।

श्री योगेश खजरे, सहायक ग्रेड 3 सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (निलंबित) के द्वारा उक्त निलंबन के संबंध में दिनांक 28/07/2025 के द्वारा अपना अभ्यावेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा उनके विरूद्ध की गयी निलंबन की कार्यवाही वैमनस्यता एवं दुर्भावनापूर्वक होने से प्रकरण की पुनः जॉच कराते हुए उन्हें निलंबन से बहाल करने का निवेदन किया है। श्री योगेश खजरे, सहायक ग्रेड 3 सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (निलंबित) के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन समाधानकारक नहीं पाया गया है। प्रकरण की प्रांरभिक जॉच हेतु अधिकृत जॉच अधिकारियों के प्रतिवेदन अनुसार श्री योगेश खजरे, तत्कालीन भण्डार शाखा प्रभारी द्वारा प्राप्त कैलेन्डर का वितरण नही किया जाना, भण्डार नियमों का पालन नही करते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाना पाया गया।

श्री योगेश खजरे, सहायक ग्रेड 3 सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (निलंबित) के उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपनियमों के प्रतिकूल होने की स्थिति में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के अंतर्गत लघुशास्ति अधिरोपित कर इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है तथा इनके द्वारा निलंबन से बहाल किये जाने हेतु किये गये निवेदन पर विचार कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 की कंडिका "घ" का प्रयोग करते हुए इन्हें निलंबन से बहाल कर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में प्रचलित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 22896/2025 में पारित निर्णय दिनांक 04/07/2025 के अनुक्रम में अन्य आदेश पर्यन्त इनकी उपस्थिति कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास जिला बालाघाट में मान्य की जाती है।

इनकी निलंबन अवधि को सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवधि मान्य कर इन्हें भविष्य के लिए सचेत करते हुए जॉच कार्यवाही का यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। निलंबन अवधि के सम्पूर्ण वेतन–भत्ते, संबंधित को निलंबन अवधि में भुगतान किए गए "जीवन निर्वाह भत्तों" की राशि का समायोजन कर, दिये जाएं ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by
MRINAL MEENA
Date: 04-09-2025
10:20:50

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट,

पृ. क्रमांक /4388(4) मबावि / ला.बा.यो. / 2025–26 बालाघाट,दिनांक 04/09/2025

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सादर सुचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सुचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सुचनार्थ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बालाघाट की ओर सूचनार्थ।
5. परियोजना अधिकारी महिला एंव बाल विकास खैरलांजी की ओर सुचनार्थ।
6. श्री योगेश खजरे सहायक ग्रेड 3 सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास जिला बालाघाट (वर्तमान मुख्यालय कार्यालय बाल विकास परियोजना खैरलांजी जिला बालाघाट) की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर,
जिला–बालाघाट

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - ब

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

-:: कारण बताओ नोटिस ::-

क्रमांक/789 /क्षेत्रीय शाखा-1/2025/शि-2 जबलपुर, दिनांक 25/07/ /2025

प्रति,

सुश्री वंदना धुमकेती,
तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी,
(मूल पद सहायक संचालक)
महिला एवं बाल विकास
जिला बालाघाट।

द्वारा :- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला बालाघाट।

विषय :- अनुशासनात्मक कार्यवाही विरूद्ध - सुश्री वंदना धुमकेती, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला बालाघाट।

-:: 0 ::-

कलेक्टर, बालाघाट के पत्र क्रमांक/3841/मबावि/ला.बा.यो./2025-26, दिनांक 23/07/2025 द्वारा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-16 के अधीन आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

2. अवचार एवं कदाचार जिसके लिए उक्त कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, संलग्न है।

3. एतद्द्वारा आपको अवसर दिया जाता है कि यदि आप इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहे तो आप इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना पक्ष विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4. कृपया इस कारण बताओ नोटिस की दिनांकित अभिस्वीकृति तत्काल दें।

कमिश्नर
जबलपुर संभाग

पृष्ठां. क्रमांक/790 /क्षेत्रीय शाखा-1/2025 जबलपुर, दिनांक 25/07/ /2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, प्लाट नं. 28-ए, विजयाराजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स, मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला बालाघाट की ओर कारण बताओ नोटिस की एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित। कृपया संलग्न कारण बताओ नोटिस की अतिरिक्त प्रति सुश्री वंदना धुमकेती, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला बालाघाट को तामील कराकर पावती तत्काल भेजें।

सहपत्र :- क्रमांक-4 के लिए।

कमिश्नर
जबलपुर संभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

अवचार एवं कदाचार - सुश्री वंदना धुमकेती, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला बालाघाट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बावद्।

कलेक्टर, बालाघाट के पत्र क्रमांक/3841/मबावि/ला.बा.यो./2025-26, दिनांक 23/07/2025 में प्रतिवेदित किया गया है कि, माननीय मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के प्रथम/द्वितीय चरण के कैलेण्डर मध्य प्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल के चालान क्रमाक 1388/23 दिनांक 29/08/2023 को 3,61,832 कैलेन्डर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास बालाघाट को प्राप्त हुए थे। तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बालाघाट के पत्र क्रमांक/3449/मबावि/ला.बा.यो/2023 बालाघाट दिनांक 25/09/2023 को वितरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है किन्तु प्रस्तुतकार किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 31/01/2025 को पाया गया कि माननीय मुख्यमत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अतर्गत पात्र हितग्राहियों के प्रथम/द्वितीय चरण के कैलेण्डर के 328 बैग गोदाम में रखे हुए हैं। कार्यालय महिला एवं बाल विकास बालाघाट के आदेश क्रमांक 1284 बालाघाट दिनांक 24/03/2025 के द्वारा समिति का गठन किया गया है। उक्त जिला स्तरीय जाँच समिति के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07/05/2025 के अनुसार उक्त कैलेण्डर लाड़ली बहना योजना के प्रचार प्रसार हेतु प्राप्त हुये थे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई एवं हितग्राहियों को कैलेण्डर का वितरण नहीं किया जाना शासन द्वारा दिये गये निर्देशो एवं भण्डार नियमों का पालन नहीं किया जाकर अपने कार्यदायित्वो का निर्वहन नहीं किया गया एवं लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया है। जिससे शासकीय धन की हानि/अपव्यय हुआ हैं। साथ ही उच्च कार्यालय को गुमराह करते हुए सम्पूर्ण कैलेण्डर वितरण की झुठी/गलत जानकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इसके लिये सुश्री वंदना धुमकेती, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी (मूल पद सहायक संचालक), महिला एवं बाल विकास जिला बालाघाट पूर्णतः दोषी हैं।

सुश्री वंदना धुमकेती, तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला बालाघाट का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम 1, 2, 3, के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-10 के तहत शास्ति अधिरोपित किये जाने योग्य है।

कमिश्नर
जबलपुर संभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल